Stay granted to M/s. Carews

3102. SHRI H. HANUMANTHAPPA: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 375 given in Rajya Sabha on the 30th April, 1992 and state:

(a) whether Calcutta High Court has granted any stay to M/s. Carews in the Combiflam case to obtain details regarding the packs sold beyond 1st January, 1989;

(b) if so, when and what are the details thereof;

(c) whether Government propose to take any action against the company under the Essential Commodities Act for non-submission of details;

(d) if so, the details thereof;

(e) whether it is also a fact that there is a large scale unit behind the hoex company, M/s. Carews;

(f) whether Government have been able to identify the same;

(g) if so, the name of that company; and

(h) when was the issue last taken with the Department of Company Affairs and what has been their response?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN): (a) to (d) Copies of orders of the Hon'ble Court are awaited.

(e) to (g) Prima facie, it appears that M/s. Carews Pharmaceuticals Limited are inter-connected with U.B. Group of companies.

(h) The Department of Company Affairs, to whom the matter was referred for investigation, is yet to take a final view in the matter. They have been reminded last on 20-7-1992.

पेनसिलीन के मूल्य में वृद्धि

3103. **श्री विनोद शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में उत्पादित पेनसिलीन की दरों में हाल में सरकार द्वारा वृद्धि की गई है ;

(ख) यदि हां, तो पिछली बार य वृद्धि कब लागू की गई थी और य कितने प्रतिशत थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 1991 में उस उत्पाद की दरों में क बार वृद्धि की गई है ;

(घ) 1991 से अब तक कित प्रतिशत की वृद्धि की गई है ;

(ङ) क्या इस मूल्य वृद्धि से ग्राम उपभोक्ता के हितों को ठेस पहुंची है और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वार ग्राम उपभोक्ता के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिंता मोहन) : (क) से (घ) पेनिसिलीन जी पोटैशियम फर्स्ट क्रिस्टल की अधिसूचित कीमत 1991 में निम्न प्रकार संशोधित की गई है :—

पूर्ववर्ती कीमत	संशोधित कीमत/ संशोधन की तारीख	प्रतिशत वृद्धि
695.00	723.00/3.91	4.0
723.00	830.00/15-10-91	14.8
830.00	886.00/20-5-92	6.7
886.00	933.00/06-7-92	5.3

(ङ) और (च) मेसर्स आई.डी.पी.एल और मेसर्स एच.ए.एल. द्वारा उत्पादन करने के लिए अन्तर्वस्तुओं की लागतें बढ जाने के कारण इन वृद्धियों की अनुमति दी गई थी और इनकी गणना बी.आई.सी.पी. द्वारा अपनी रिपोर्ट में दिए गए मूल्य वृद्धि फार्मूला के आधार पर की गई थी। ये वृद्धियां अवश्यम्भावी थीं ताकि अंतिम उपभोक्ताओं को आवश्यक और जीवन रक्षक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।